राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

विषयः– पंचायती राज विभाग द्वारा अधीनस्थ सेवा भर्ती के संबंध में।

संदर्भः– अति. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव का पत्र क्रमांकः एफ 701( )पंरावि/क.अ./प्रशा.2/सी.भ./2013/2094 दिनांक 04.07.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा यह जानकारी चाही गई है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत यदि कोई संविदा कार्मिक कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयन होने पर कार्यग्रहण कर लेता है तो क्या उसे कनिष्ठ अभियन्ता, लेखा सहायक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य पदों पर अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ मिलेगा।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ केवल एक बार ही देय है। यदि कोई संविदा कार्मिक कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयन होने पर कार्यभार ग्रहण कर लेता है तथा उसे कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उस संविदा कार्मिक को किसी भी अन्य पद पर अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। संविदा कार्मिक के पास यह विकल्प है कि यदि वह कनिष्ठ अभियन्ता, लेखा सहायक एवं सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद की योग्यता रखता है तथा उक्त पद पर कार्य करने का अनुभव भी रखता है तो वह उक्त पदों की भर्ती में अनुभव का लाभ ले सकता है। यदि वह कनिष्ठ लिपिक के पद पर एक बार अनुभव का लाभ ले लेता है तो उसे कनिष्ठ अभियन्ता, लेखा सहायक एवं सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर अनुभव का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग

आयुक्त एवं शासन सचिव
पंचायती राज विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः एफ.12 (5)ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट–1
जयपुर दिनांकः 15 JUL 2013

प्रतिलिपि :–

1. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, समस्त राजस्थान।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस